प्रेस विज्ञप्ति

बिहार पुलिस मुख्यालय

दिनांक–14.08.2023 (सं0–372)

फिरार उग्रवादियों/भूमिपतियों की निजी सेनाओं, अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु घोषित पुरस्कार की राशि का निर्धारण एवं वितरण के संबंध में।

- वर्ष 2002 से गृह (आरक्षी) विभाग द्वारा फिरार/उग्रवादियों/भूमिपतियों की निजी सेनाओं एवं अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार की घोषणा की गयी, जिसके अंतर्गत फिरार उग्रवादियों/अपराधियों के लिए गिरफ्तार करने वाले या फिरार अभियुक्त के संबंध में सूचना देकर गिरफ्तारी में सहायता पहुँचाने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता है।
- वर्ष 2011 एवं वर्ष 2018 में इसकी समीक्षा के पश्चात् तथा वर्तमान में पुरस्कार से संबंधित निम्नांकित नीति निर्धारित की गयी है :–

1. (क) उग्रवादी/अपराधी की गिरफ्तारी पर पुरस्कार के घोषित होने की शर्त :–

(i) उग्रवादी/अपराधी सी0आर0पी0सी0 की धारा 82 एवं 83 के अंतर्गत फिरार घोषित हों।

(ii) प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन से जुड़े उग्रवादी के मामले में क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट 1908 की धारा 17 के अंतर्गत काण्ड दर्ज हो।

(iii) अन्य आपराधिक मामले में निम्नलिखित अपराधों में से एक या एक से अधिक मामलों में संलिप्त हो :–

1. फिरौती के लिए अपहरण।
2. सामूहिक या अन्य जघन्य हत्या।
3. मार्ग लूट/डकैती या मार्ग लूट/डकैती के साथ हत्या।
4. ट्रेन लूट/डकैती या ट्रेन लूट/डकैती के साथ हत्या।
5. रंगदारी।
6. अवैध आग्नेयास्त्र/विस्फोटक पदार्थ का निर्माण या उसके व्यापार में संलिप्तता।
7. किसी अन्य अत्यन्त सनसनीखेज काण्ड में संलिप्तता।

(ख) पुरस्कार राशि का आधार :–

उग्रवादी/अपराधी के विरुद्ध आपराधिक काण्डों की संख्या, उसकी जघन्यता और उसके फिरार रहने से लोक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखकर पुरस्कार राशि का निर्धारण किया जायेगा।

फिरार उग्रवादी के मामले में संगठन में उग्रवादी के स्थान (रैंक) और उसकी गिरफ्तारी की पर संगठन को पहुँचने वाले आघात के आधार पर पुरस्कार राशि का निर्धारण किया जाता है।

(ग) पुरस्कार राशि की सीमा :–

फिरार उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार की अधिकतम राशि 5,00,000/–रु0 (पाँच लाख रुपये) होगी।

अन्य फिरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अधिकतम सीमा 2,50,000/–रु0 (दो लाख पचास हजार रुपये) होगी।

➢ **(घ) पुरस्कार की घोषणा की वैद्यता की अवधि :–**

उपरोक्त मामलों में पुरस्कार की घोषणा दो वर्षों तक वैद्य होगी दो वर्षों के बाद पुनः पुरस्कार की घोषणा की जा सकती है।

(च) पुरस्कार की पात्रता :–

- कोई भी व्यक्ति जो फिरार उग्रवादी/अपराधी को गिरफ्तार करेगा अथवा सूचना देकर उसकी गिरफ्तारी में सहयोग प्रदान करेगा पुरस्कार का हकदार होगा।
- राजपत्रित पदाधिकारी गिरफ्तारी या मुठभेड़ स्थल पर नहीं होंगे तो उन्हें मौद्रिक पुरस्कार देय नहीं होगा।
- अभियान में सम्मिलित सभी को एकसमान पुरस्कार राशि देय होगी चाहे वो किसी पंक्ति के हों।
- गुप्तचरों के द्वारा दी गयी सूचना अतिमहत्वपूर्ण होने की स्थिति में गुप्तचर के नाम–पता के बिना मौद्रिक पुरस्कार की अनुशंसा शेष सभी के साथ हीं की जायेगी। गुप्तचरों को मौद्रिक पुरस्कार की राशि उपलब्ध कराने का दायित्व अनुशंसा करने वाले पदाधिकारी का दायित्व होगा।
- पुरस्कार के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) की अध्यक्षता में एक समिति गठित है। जिसके अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान) तथा विशेष शाखा सदस्य हैं। पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन के उपरान्त हीं पुरस्कार की राशि वितरित की जाती है।

➢ पुरस्कार घोषित करने एवं पुरस्कार की राशि निर्धारण की प्रक्रिया :–

- 50,000/–रु0 तक पुरस्कार की राशि घोषित करने हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार सक्षम हैं।
- 50,000/–रु0 से अधिक तथा 1,00,000/–रु0 तक पुरस्कार की राशि पुलिस महानिदेशक, बिहार की अनुशंसा तथा प्रधान सचिव/सचिव के अनुमोदन पर घोषित की जाती है।
- 1,00,000/–रु0 से अधिक, उग्रवादियों के मामले में 5,00,000/–रु0 तथा अन्य फिरार अभियुक्तों के मामले में 2,50,000/–रु0 तक पुरस्कार राशि गृह मंत्री के अनुमोदन से घोषित की जाती है।

➢ किसी भी समय अधिकतम 100 फिरार उग्रवादी/अपराधी की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार की घोषणा लागू रह सकती है।

➢ आम जनों से अपील है कि उग्रवादियों/अपराधियों के विषय में बिहार पुलिस को सूचना देकर उनके विरुद्ध घोषित पुरस्कार की राशि को प्राप्त करें।

xxxxxxxx